राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेज

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित दस्तावेज हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निर्गत किये जाएंगे :–

- संकल्प
- सामान्य आदेश
- नियम
- अधिसूचनाएं
- प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन
- प्रेस विज्ञप्ति
- प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन तथा सरकारी दस्तावेज जो संसद के किसी सदन या सदनों में प्रस्तुत किये जाने हों।
- संविदाएं
- समझौते
- लाइसेंस
- परमिट
- निविदा सूचनाएं
- निविदा प्रपत्र

नोटः राजभाषा नियमावली 1976 के अनुसार ''**यह सुनिश्चित करना हस्ताक्षरकर्ता की जिम्मेवारी होगी कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित या निर्गत किए जाएं।**''